राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेल–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/19/ 14994 – 15001 दिनांक :– 12-4-19

उपनिदेशक (क्षेत्रीय) समस्त

विषयः– (Solid Waste Management Rules 2016) की पालना में निकायों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल व निदेशालय को भिजवाये जाने बाबत।

संदर्भः– श्रीमान मुख्य सचिव द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 10.04.2019 में दिए गए निर्देशों के क्रम में जारी विभागीय पत्र क्रमांकः–एफ 55( )Engg./CE/DLB/19/14746-14939 दिनांकः–12.04.2019

विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय NGT में वाद सं. 606/2015 में जवाब प्रस्तुत करने एवं दिनांक 5, 9 व 10 अप्रैल 2019 को श्रीमान मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दिये गये निर्देशों की पालना प्रत्येक निकाय को की जानी है, जिसके अंतर्गत Solid Waste Management Rules के नियम 15(za) एवं नियम 24(2) के अनुसार प्रत्येक निकाय को वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर RSPCB को तथा निदेशालय को भिजवाई जानी है। प्रत्येक वर्ष की वार्षिक रिपार्ट 30 अप्रैल तक तैयार की जाकर 31 मई तक भिजवायी जानी आवश्यक है।

इस हेतु सभी निकायों को निर्देशित किया जा चुका है आप अपने स्तर पर आपसे संबंधित सभी नगर पालिकाओं की मीटिंग दिनांक 13.04.2019 को प्रातः 11 बजे आपके कार्यालय में आयोजित कर Solid Waste Management Rules के नियम 15(za) एवं नियम 24(2) के अनुसार प्रत्येक निकाय को वार्षिक रिपोर्ट तैयार करवाकर दिनांक 14.04.2019 को 11 बजे तक आवश्यक रूप से विशेष वाहक के साथ मय सॉफ्ट कॉपी के निदेशालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित कराया जाना है। उक्त एनुअल रिपोर्ट के आधार पर माननीय न्यायालय एनजीटी में दिनांक 15.04.2019 को जवाब प्रस्तुत किया जाना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है, कि आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित Annual Report(वर्ष 2017–18 एवं 2018–19) RPCB के ई–मेल member-secretary@rpcb.nic.in व निदेशालय के ई–मेल cedlbjp@gmail.com पर तथा विशेष वाहक के साथ हार्डकॉपी व सॉफ्टकॉपी निदेशालय को दिनांक 14.04.2019 को प्रातः 11 बजे तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न : Annual report form IV

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ 19/ 15002 – 15205 दिनांक :- 12-4-19
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग।
3. निजी सचिव,शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग।
5. सचिव, राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण मंडल।
6. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निकाय, समस्त।
7. निजी सहायक मुख्य अभियंता निदेशालय।
8. मुख्य लेखाधिकारी निदेशालय।
9. सहायक अभियंता, पर्यावरण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन श्री दीपक सिंहल एवं श्री विश्वास सिंहल को भेज कर निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 13.04.2019 एवं 14.04.2019 को कार्यालय में उपस्थित होकर उपनिदेशक क्षेत्रीय से प्राप्त निकायों की वार्षिक रिपोर्ट को संकलित कर रिपोर्ट करेंगे।
10. प्रोगामर निदेशालय विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किया जाने हेतु।
11. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता